न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 115/2019

1 भैरूसिंह पुत्र नाथूसिंह।
2 किरण कंवर पुत्री नाथूसिंह।
3 संतोष कंवर पुत्री नाथूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नीमेडा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजवीर सिंह पुत्र भींवसिंह।
2 नन्दूसिंह पुत्र भींवसिंह।
3 हरिसिंह पुत्र भींवसिंह।
4 ज्योति कंवर पुत्री भींवसिंह।
5 इमरत कंवर पत्नी भींवसिंह।
6 कविता पत्नी भगवान सहाय ग्राम नीमेडा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
7 गोपाल पुत्र रूड़मल जाति गुर्जर निवासी नीमेडा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
8 उप पंजियक खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।
9 पटवारी पटवार हल्का नीमेड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04.11.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला उनवानी प्रकरण भैरोसिंह बनाम राजवीर सिंह आदि तहसीलदार आदि आवेदन मुकदमा नम्बर 10/2017।

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 18.02.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 10/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 1.56 है., भूमि खसरा नं. 738 रकबा 0.83 है., कुल किता 2 कुल रकबा 2.39 है. तन ग्राम नीमेडा तहसील खण्डेला में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि पैतृक भूमि है। जिसके सजरा खानदान के अनुसार नाथूसिंह मृतक के भैरूसिंह, भीवसिंह, दशरथसिंह पुत्र व किरण कंवर, संतोष कंवर, सुप्यार कंवर वैध वारिस थे। उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का हक हिस्सा होने के बावजुद अपीलान्ट सं. 2 व 3 के नम जमाबन्दी मे दर्ज नही किये गये। अपीलान्ट सं. 2 व 3 मृतक नाथूसिंह की पुत्रीया होने के बावजूद उनका नाम जमाबंदी मे दर्ज नही किया गया। उक्त तथ्य का ज्ञान रेस्पो. सं. 7 द्वारा नाथूसिंह के हिस्से की भूमि मे निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु पत्थर डाले जाने पर जमाबन्दी की नकल लिये जाने पर हुआ। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा व टी.आई. प्रस्तुत किये जाने के पश्चात दिनांक 04.11.2019 को टी.आई. आवेदन निरस्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर गुणावगुण पर सुनवाई कर निस्तारण नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के निस्तारण किये जाते समय प्रारम्भिक मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु को निस्तारित किये बिना ही केवल मात्र अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 3,4,6,7 भी रिकार्डेड खातेदार होना मानते हुए व हक अधिकारो का निर्धारण मुल वाद में होना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अंकित कर केवल मात्र इसी आधार पर उक्त आवेदन निरस्त कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के हितो के विपरित उक्त कृषि भूमि को विक्रय किये जाने व अपीलांट के हक हकुक को समाप्त किये जाने के उद्वेश्य से उक्त भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये कृषि भूमि में निर्माण किये जाने के तथ्य पत्रावली पर होने के बावजुद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नही कर भारी भूल की है। रेस्पोडेंट द्वारा उक्त कृषि भूमि को बिना किस्म परिवर्तन कराये ही उक्त भूमि मे निर्माण कार्य किये जाने तथा उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय किये जाने पर आमादा है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के हक हकुको से महरूम करने पर आमादा होने के तथ्य रिकार्ड पर होने एवं उक्त कृषि भूमि को विक्रय किये जाने व अवैध तरीके से निर्माण किये जाने की दशा में अपूरणीय क्षति अपीलांट को होने का तथ्य साबित होने के बावजुद विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर गुणावगुण पर निर्णय पारित नही कर भारी भूल कारित की है। अत अपील स्वीकार की जाकर ताफैसला वाद स्थगन जारी किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 1.56 है., भूमि खसरा नं. 738 रकबा 0.83 है., कुल किता 2 कुल रकबा 2.39 है. तन ग्राम नीमेडा तहसील खण्डेला में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि पैतृक भूमि है। जिसके सजरा खानदान के अनुसार नाथूसिंह मृतक के भैरूसिंह, भीवसिंह, दशरथसिंह पुत्र व किरण कंवर, संतोष कंवर, सुप्यार कंवर वैध वारिस थे। उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का हक हिस्सा होने के बावजुद अपीलान्ट सं. 2 व 3 के नम जमाबन्दी मे दर्ज नही किये गये। अपीलान्ट सं. 2 व 3 मृतक नाथूसिंह की पुत्रीया होने के बावजूद उनका नाम जमाबंदी मे दर्ज नही किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

यहां यह भी विचारणीय है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर गुणावगुण पर सुनवाई कर निस्तारण नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के निस्तारण किये जाते समय प्रारम्भिक मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु को निस्तारित किये बिना ही केवल मात्र अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 3,4,6,7 भी रिकार्डेड खातेदार होना मानते हुए व हक अधिकारो का निर्धारण मूल वाद में होना अंकित कर केवल मात्र इसी आधार पर उक्त आवेदन निरस्त कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के हितो के विपरित उक्त कृषि भूमि को विक्रय किये जाने व अपीलांट के हक हकुक को समाप्त किये जाने के उद्वेश्य से उक्त भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये कृषि भूमि में निर्माण किये जाने के तथ्य पत्रावली पर होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। दावे के निर्णय तक पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 1.56 है., भूमि खसरा नं. 738 रकबा 0.83 है., कुल किता 2 कुल रकबा 2.39 है. तन ग्राम नीमेडा तहसील खण्डेला की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर